पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 13715

==========

मेसर्स आर.एस कंस्ट्रक्शन, जिसका पंजीकृत कार्यालय काली स्थान चौक, बेगूसराय, जिला- बेगूसराय में है, अपने पार्टनर पंकज कुमार, उम्र लगभग 51 वर्ष, पुरुष, पिता- रामेश्वर प्रसाद सिंह, निवासी- ग्राम- सिहमा, थाना- मटिहानी, जिला- बेगूसरिया, बिहार के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. अपने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कौटिल्य नगर, पटना 800014 के माध्यम से बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, (बिहार सरकार उद्यम) कौटिल्य नगर, पटना 800014
2. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सह अपीलीय प्राधिकरण, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कौटिल्य नगर, पटना 800014।
3. मुख्य अभियंता सह पंजीकरण प्राधिकरण, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कौटिल्य नगर, पटना 800014
4. अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कौटिल्य नगर, पटना 800014।

.....प्रत्यर्थीगण

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री उमेश प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री संजीत कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः श्री प्रसून सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री प्रभात कुमार, अधिवक्ता

==========

*सरकारी अनुबंध- काली सूची में डालना- याचिकाकर्ता/फर्म को तीन साल के लिए काली सूची में डाल दिया गया- याचिकाकर्ता/फर्म की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई- प्रतिवादियों ने एक पूर्व शर्त के साथ निविदा आमंत्रित की कि केवल उन्हीं फर्मों की बोली पर विचार किया जाएगा जो केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समान प्रकृति के कार्य करने का अपना अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे- याचिकाकर्ता ने निविदा दस्तावेजों के साथ अपना प्रदर्शन/अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था- याचिकाकर्ता/फर्म द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र के जाली होने पर प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता/फर्म के सभी भागीदारों के साथ-साथ पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया- याचिकाकर्ता ने कभी किसी प्राधिकारी के समक्ष यह नहीं कहा कि उसका अनुभव प्रमाण पत्र वास्तविक है- योग्यता सीमा को पूरा करने के लिए भ्रामक जानकारी प्रदान करने में याचिकाकर्ता/फर्म का कृत्य याचिकाकर्ता/फर्म को किसी भी राहत की मांग करने से वंचित करता है- प्रतिवादियों द्वारा फर्म को तीन वर्ष के लिए काली सूची में डालने के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता -याचिका खारिज। **(पैराग्राफ 21, 25 और 26)***

(1975) 1 एससीसी 70; (2006) 11 एससीसी 548; (2014) 14 एससीसी 731; (2012) 11 एससीसी 257; 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1896; (1985) 3 एससीसी 398—निर्भर किया गया।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक: 27-02-2025

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

2. याचिकाकर्ता, एक साझेदारी फर्म, ने मुख्य अभियंता-सह-पंजीयन प्राधिकारी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा पारित दिनांक 22.06.2023 के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय का रुख किया है, जिसमें याचिकाकर्ता/फर्म के पंजीकरण को अनिश्चित काल के लिए काली सूची में डाल दिया गया था, जिसे दिनांक 03.07.2023 के *शुद्धिपत्र* द्वारा 21.07.2022 से पांच वर्षों के लिए काली सूची में डालने में बदल दिया गया था, साथ ही बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा अपील में पारित दिनांक 19.01.2024 के आदेश को भी संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा मुख्य अभियंता (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया गया था और याचिकाकर्ता/फर्म

को तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया गया था, लेकिन इसे सरकार के अन्य विभागों के लिए भी लागू कर दिया गया था।

3. यहां यह भी उल्लेख किया गया है कि 12.02.2024 पर दायर याचिकाकर्ता/फर्म की रिव्यू याचिका को भी खारिज कर दिया गया था।

4. मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (*जिसे निगम के नाम से भी जाना जाएगा*) ने गया जिले में पुलिस थानों और बाह्य गृहों के निर्माण और विद्युतीकरण के अलावा अन्य कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की थी। बोलियों को अपलोड करने की अंतिम तिथि समय-समय पर बढ़ाई गई थी।

5. निविदा आमंत्रण सूचना (*संक्षेप में एनआईटी*) के खंड 35 में से एक खंड यह था कि केवल उन्हीं फर्मों की बोली पर विचार किया जाएगा जो समान प्रकृति के केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य करने का अपना अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे।

6. याचिकाकर्ता/फर्म ने आठ अन्य लोगों के साथ मिलकर इस कार्य के लिए अपनी बोलियाँ प्रस्तुत की थीं। याचिकाकर्ता ने निविदा दस्तावेजों के साथ अपना प्रदर्शन/अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। यह प्रमाण पत्र झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी सब्जी विपणन संघ, रांची (*संक्षेप में वीईजीएफईडी*) के प्रबंध निदेशक द्वारा जारी किया गया था। दस्तावेजों के सत्यापन पर, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपलोड किया गया ऐसा कोई प्रदर्शन/अनुभव प्रमाण पत्र वीईजीएफईडी कार्यालय से कभी जारी नहीं किया गया था। यह वीईजीएफईडी के प्रबंध निदेशक द्वारा दिनांक 24.04.2023 को अपने संचार के माध्यम से सूचित किया गया था।

7. याचिकाकर्ता/फर्म के भागीदारों में से एक ने एक हलफनामा भी दायर किया था कि बोली के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र सही हैं और यदि कोई गलत जानकारी पाई जाती

है, तो सक्षम प्राधिकारी कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसमें फर्म के पंजीकरण को काली सूची में डालना भी शामिल है। हलफनामे में यह भी दोहराया गया कि उस घटना में एक प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है।

8. निगम ने यह पता लगाने पर कि याचिकाकर्ता/फर्म द्वारा संलग्न अनुभव का प्रमाण पत्र जाली था, याचिकाकर्ता/फर्म के सभी भागीदारों के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी धारक दीपक कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 467,468,471,420,120 (बी) और 511 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2023 के एयरपोर्ट पी.एस. केस नंबर 106 के रूप में एक आपराधिक मामला दर्ज किया।

9. चूंकि मानक बोली दस्तावेजों (*संक्षेप में एसबीडी*) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि कोई बोलीदाता योग्यता आवश्यकताओं के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों, कथनों और अनुलग्नकों में कोई भ्रामक या गलत बयानी करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, इसलिए तकनीकी मूल्यांकन समिति ने याचिकाकर्ता की बोली को अस्वीकार कर दिया।

10. बिहार ठेकेदार पंजीकरण नियम, 2007 के प्रावधानों को लागू करते हुए, याचिकाकर्ता को 01.06.2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें फर्म से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर यह बताने के लिए कहा गया कि क्यों न पंजीकरण निलंबित कर दिया जाए और याचिकाकर्ता/फर्म को बोली दस्तावेजों के साथ जालसाजी, धोखाधड़ी और जाली अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने के आरोप में काली सूची में न डाला जाए। यह पत्र याचिकाकर्ता/फर्म द्वारा पंजीकरण के समय दिए गए पते पर 02.06.2023 को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था। हालांकि, डाक विभाग द्वारा 07.06.2023 को यह नोट करके पत्र वापस कर दिया गया कि पता सही और पूरा नहीं था। इससे याचिकाकर्ता/फर्म द्वारा अपना सही पता न दिए जाने का भी संदेह पैदा हुआ। इसके बाद, याचिकाकर्ता/फर्म को

काली सूची में डालने का आदेश पारित किया गया, जो शुरू में अनिश्चित काल के लिए था, लेकिन बाद में इसे तीन साल की अवधि के लिए संशोधित किया गया।

11. याचिकाकर्ता/फर्म द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया था।

12. अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता/फर्म की ओर से तर्क दिया गया कि ब्लैकलिस्ट करने का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है, क्योंकि कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिन यानी 01.06.2023 को मुख्य अभियंता पंजीकरण प्राधिकारी नहीं रह गए थे, क्योंकि याचिकाकर्ता/फर्म का पंजीकरण 21.12.2022 को समाप्त हो गया था। यह तर्क दिया गया है कि जिस फर्म का पंजीकरण पहले ही समाप्त हो चुका है, उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता है।

13. आगे यह तर्क दिया गया है कि ऊपर उल्लिखित एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जांच अभी भी लंबित है और निविदा प्रक्रिया की बोली वैधता अवधि समाप्त होने के बाद काली सूची में डालने आदेश पारित किया गया था, जिससे बोली वैधता के विस्तार के अभाव में प्रतिवादियों के लिए बोली दस्तावेजों को खोलने और उन्हें संसाधित करने का कोई अवसर नहीं बचा। याचिकाकर्ता/फर्म की ओर से दूसरा तर्क यह था कि कारण बताओ नोटिस कभी नहीं दिया गया।

14. न तो रिट याचिका में और न ही अपीलीय प्राधिकरण या रिव्यू प्राधिकरण के समक्ष, जैसा कि हमने देखा है, याचिकाकर्ता/फर्म ने अनुभव प्रमाण पत्र के वास्तविक होने के बारे में कहा है।

15. वीईजीएफईडी के प्रबंध निदेशक द्वारा किए गए संचार से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता/फर्म द्वारा अपलोड किया गया अनुभव प्रमाण पत्र वीईजीएफईडी द्वारा कभी जारी नहीं किया गया था, जो *प्रथम दृष्टया* साबित करता है कि याचिकाकर्ता द्वारा एक भ्रामक दस्तावेज अपलोड किया गया था।

16. अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि बोली दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 21.07.2022 थी और तकनीकी बोली खोलने की तिथि 22.07.2022 थी। निगम के अधीक्षण अभियंता, सर्किल-I की उपस्थिति में बोलीदाताओं द्वारा ऑनलाइन अपलोड की गई तकनीकी बोलियों को खोला गया और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें 25.04.2023 को मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा गया। एसबीडी की शर्तों में से एक बोलीदाता को बोली खुलने के बाद बोली वैधता की अवधि समाप्त होने पर अपनी बोली वापस लेने की अनुमति देती है और उस स्थिति में बोलीदाता की बयाना राशि जब्त नहीं की जाएगी। इसके विपरीत, यदि कोई बोलीदाता बोली वैधता की अवधि के दौरान बोली खुलने के बाद बोली वापस लेता है, तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

17. याचिकाकर्ता/फर्म ने बोली प्रक्रिया को जारी रखना पसंद किया था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने बोली के खुलने के बाद अपनी बोली वापस नहीं ली, हालांकि बोली की वैधता की अवधि समाप्त हो गई थी।

18. जहां तक याचिकाकर्ता/फर्म को नोटिस देने का सवाल है, इसकी सेवा से इनकार किया जाता है।

19. न्यायालयों ने हमेशा काली सूची में डालने को सबसे कठोर उपायों में से एक माना है और पारित आदेशों की हमेशा कड़ी जांच की गई है। कानून में यह और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि बोली लगाने वाले/ठेकेदार को नोटिस देना अनिवार्य है, जिस नोटिस में चूककर्ता के खिलाफ की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई का स्पष्ट इरादा होना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे चूककर्ताओं/ठेकेदारों से सार्वजनिक हितों की सुरक्षा का एक तत्व होना चाहिए जो गैर-जिम्मेदार हैं, उनमें व्यावसायिक ईमानदारी की कमी है या वे बेईमान या अवैध आचरण में लिप्त हैं या अन्यथा संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं [देखें ***इरूसियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य: (1975) 1 एस सी***

सी 70; बी.एस.एन. जोशी एंड संस लिमिटेड बनाम नायर कोल सर्विसेज लिमिटेडः (2006) 11 एस सी सी 548; कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मुख्य महाप्रबंधक, पश्चिमी दूरसंचार परियोजना भारत संचार निगम लिमिटेड एवं अन्यः (2014) 14 एस सी सी 731; पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम भारत संघः (2012) 11 एस सी सी 257 और ब्लू ड्रीमज़ एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम कोलकाता नगर निगम एवं अन्यः 2024 एस सी सी ऑनलाइन एस.सी. 1896]।

20. जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जिसके कारण एफआईआर दर्ज हो जाती है, भले ही उसके संबंध में जांच लंबित हो, एक गंभीर मामला है जो निगम के विश्वास को प्रभावित करता है और उसे खतरे में डालता है और प्रत्येक निगम का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे व्यक्तियों के बारे में अन्य समकक्षों को चेतावनी दे।

21. याचिकाकर्ता/फर्म के मामले में, भले ही यह मान लिया जाए कि नोटिस पंजीकरण के समय याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए गलत पते के कारण तामील नहीं हुई थी, याचिकाकर्ता/फर्म के पास अपीलकर्ता प्राधिकरण के समक्ष अपना बचाव करने का हर अवसर था, जिसने अपने विवेक से काली सूची में डालने की अवधि को पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि याचिकाकर्ता/फर्म का पंजीकरण समाप्त हो गया है। योग्यता सीमा को पूरा करने के लिए भ्रामक जानकारी प्रदान करने में याचिकाकर्ता/फर्म का कृत्य याचिकाकर्ता/फर्म को किसी भी राहत की मांग करने से वंचित करता है।

22. *ऑडी अल्टरम पार्टम* सिद्धांत के कई पहलू हैं, जिसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को नोटिस भेजना शामिल है जिसके खिलाफ कोई पक्षपातपूर्ण आदेश पारित किया जा सकता है और एकत्र किए गए साक्ष्य को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करना शामिल है।

23. ***भारत संघ बनाम तुलसी राम पटेलः (1985) 3 एस.सी.सी 398*** में सर्वोच्च न्यायालय के एक पैराग्राफ का संदर्भ लेना लाभदायक होगा, जो ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत के पूर्ण आयाम को समाहित करता है, जो इस प्रकार है:-

> *"96. प्राकृतिक न्याय का नियम, जिससे हम इन अपीलों और रिट याचिकाओं में संबंधित हैं, अर्थात्, ऑडी अल्टरम पार्टम नियम, अपने पूर्ण आयाम में इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण आदेश पारित किए जा सकते हैं, उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों और अभियोगों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए, मौखिक या दस्तावेजी दोनों तरह के साक्ष्य जानने का अधिकार होना चाहिए, जिसके द्वारा उसके विरुद्ध मामले का निर्णय किया जाना प्रस्तावित है, और उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार होना चाहिए, जिसका उपयोग उसके विरुद्ध किए जाने के उद्देश्य से किया गया है, उसकी उपस्थिति में जांच की जानी चाहिए और उनसे जिरह करने का अधिकार होना चाहिए, और अपने बचाव में मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि, निष्पक्ष सुनवाई की प्रक्रिया को न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामलों के न्यायिक निर्णय में प्रक्रिया और साक्ष्य के कई तकनीकी नियम शामिल होते हैं जो अनावश्यक हैं और अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक जांच में ऑडी अल्टरम पार्टम नियम के अर्थ में निष्पक्ष सुनवाई के उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं हैं। "*

24. याचिकाकर्ता/फर्म को अपील में अपने खिलाफ सबूतों को स्पष्ट करने और यह बताने का अवसर मिला कि उसे काली सूची में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए।

25. हम, पुनरावृत्ति की कीमत पर भी, यह कहते हैं कि याचिकाकर्ता/फर्म की ओर से ऐसा कोई कथन नहीं है कि उसके द्वारा अपलोड किया गया प्रमाण पत्र जाली नहीं है।

26. मामले के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता/फर्म को तीन साल के लिए काली सूची में डालने के प्रतिवादियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।

27. याचिका खारिज की जाती है।

28. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(आशुतोष कुमार, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

प्रवीण/

सौरवकुमारसिन्हा-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।